संख्या /उन्तीस(2)/18–2(91पे0)/2017

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 19 जनवरी, 2018

विषय– जनपद टिहरी की मुनि की रेती–ढालवाला योजना अंतर्गत आवश्यक भूमि हेतु प्राक्कलन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 501/नग0अनु0–नमांमि गंगे/54 दिनांक 24 अगस्त,2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नमांमि गंगे परियोजना के अन्तर्गत आई0 एण्ड डी0 कार्य एण्ड एस0टी0पी0 मुनिकीरेती –ढालवाला कार्य हेतु Ministry of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation, National Mission for clean Ganga के पत्र संख्या– T -03/2012-13/0175/MWW-Muni Ki Reti, dated 29.3.2017 द्वारा रू0 8045.14 लाख स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत डी0पी0आर0 में जनपद टिहरी ऋषिकेश की मुनि की रेती–ढालवाला योजना के कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण मूल्य सम्मिलित नही किया गया है। राज्य सरकार के शासनादेश संख्या–841/नौ–2पे0/2001 दिनांक 15 मई, 2001 के अनुसार भूमि अधिग्रहण मूल्य राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के कम में योजनान्तर्गत आवश्यक भूमि हेतु प्राक्कलन रू0 265.00 लाख (रू0 दो करोड पैसठ लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष, 2017–18 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त बजट प्राविधान रू0 265.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनसशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार संबंधित विभागों/संस्थाओ से अनापत्तियॉ /स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

(iv) संबंधित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) संबंधित इकाई द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि विवाद रहित हो।

2.....

(vi) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एवं कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का निरीक्षण भली भाँति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(viii) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगम नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करनें, उल्लघंन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 2215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– 01– जलपूर्ति–101– शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम –05– नगरीय पेयजल– 14– पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं हेतु भूमि क्रय हेतु अनुदान–20 सहायक अनुदान / अंशदान /राजसहायता के अंतर्गत डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1801131315 दिनांक 17 जनवरी, 2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 610/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून,2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–654/XXVII (2)/2018 दिनांक 16 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 144/उन्तीस(2)/18–2(91पे0)/2017 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट निदेशालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–02
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव